



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3223]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 20, 2018/श्रावण 29, 1940

No. 3223]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 20, 2018/SHRAVANA 29, 1940

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

का.आ. 4027(अ).— केन्द्रीय सरकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) संशोधन अधिनियम, 2018 (2018 का 27) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 20 अगस्त, 2018 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[सं.11012/2/2018-पीसीआर (डेस्क)]

रश्मि चौधरी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2018

S.O. 4027(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) section 1 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018 (27 of 2018), the Central Government hereby appoints the 20th day of August, 2018, as the date on which the provision of the said Act shall come into force.

[No. 11012/2/2018-PCR(Desk)]

RASHMI CHOWDHARY, Jt. Secy.